हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.1(ख)(1–2)एचजेयू/प्रशा./मीटिंग/प्र.बो.–VII/2024/4534 दिनांक : 19-12-24

प्रबंध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 23 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 02.12.2024 को 02:00 बजे "मंथन" सभागार, प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2.	श्री जय कौशिक (कोषाधिकारी, जयपुर शहर)	वित्त विभाग के नामनिर्देशित संभागीय आयुक्त, जयपुर के प्रतिनिधि एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
3.	सुश्री क्षिप्रा भट्टनागर (उप निदेशक, डीआईपीआर)	प्रभारी सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4.	डॉ. ऋचा यादव	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
5.	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर (ऑनलाइन सहभागिता)
6.	प्रो. अनिल कुमार राय	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
7.	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा	आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
8.	श्री भागचंद टांकड़ा	राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित राज्य विधानमण्डल सदस्य एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
9.	श्री भंवर लाल मेहरड़ा	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10.	प्रो. दीपक भटनागर	परामर्शदाता, अकादमिक एवं विनियमन, एचजेयू, जयपुर विशेष आमंत्रित

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

11.	डॉ. सत्येंद्र बसवाल	वित्त नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित
12.	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित

आवश्यक गणपूर्ति के पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यगण का स्वागत किया गया। बोर्ड के सदस्यों ने विशेष आमंत्रितों की उपस्थिति का संज्ञान लिया।

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रबंध बोर्ड के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों/संकल्पों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
7–1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड की विशेष–तृतीय बैठक दिनांक 14.06.2023 में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	<u>निर्णय/संकल्प</u> सर्वसम्मति से अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
7–2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	<u>निर्णय/संकल्प</u> सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
7–3	विश्वविद्यालय की वित्त समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 13.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	<u>निर्णय/संकल्प</u> सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। बैठक में उक्त कार्यसूची की बिन्दु संख्या 6–15 के संबंध में प्रबंध बोर्ड की सप्तम बैठक की कार्यसूची संख्या 7–7 पर निर्णय किया गया।
7–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर की विद्यापरिषद की विशेष–पंचम बैठक दिनांक 10.06.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
7–5	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड की विशेष–चतुर्थ बैठक दिनांक 11.06.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
7–6	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड की विशेष–पंचम बैठक दिनांक 20.09.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
7–7	विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सप्तम बैठक दिनांक 26.09.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए वित्त समिति की षष्ठम बैठक की कार्यसूची संख्या 6–15 एवं सप्तम बैठक दिनांक 26.09.2024 की कार्यसूची 7–19(1) के संबंध में गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्देशित किया गया : • **बिन्दु संख्या अ के संबंध में –** विश्वविद्यालय की बीए–जेएमसी, बीए–जेएमसी (ऑनर्स) एवं समतुल्य परीक्षाओं में लघुशोध प्रबंध, डॉक्यूमेंटरी, प्रोजेक्ट, फील्ड स्टडी, इंटर्नशिप आदि के पठन / मौखिक परीक्षा / मूल्यांकन हेतु प्रस्तावानुरूप मानदेय निर्धारित करने का आदेश भूतलक्षी प्रभाव से जारी करे तथा इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत करवा दिया जाए। • **बिन्दु संख्या ब के संबंध में –** विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 से एमए–जेएमसी के लिए निर्धारित मानदेय को क्रमशः एमए (2 वर्षीय), एमए (1 वर्षीय), एवं समतुल्य पाठ्ययोजनाओं तथा बीए–जेएमसी के लिए निर्धारित मानदेय को बीए–जेएमसी (ऑनर्स) एवं समतुल्य पाठ्ययोजनाओं के लिए भी भूतलक्षी रूप से प्रभावी माने जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में एमए–जेएमसी के लघुशोध प्रबंध के पठन / मौखिक परीक्षा / मूल्यांकन के लिए निर्धारित मानदेय को प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटरी, फील्ड स्टडी, इंटर्नशिप आदि के लिए भी भूतलक्षी रूप से प्रभावी माना जाएगा।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	• **बिन्दु संख्या स के संबंध में** – विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में केन्द्राधीक्षक आदि परीक्षा कार्यों से जुडे कार्मिकों के मानदेय को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के समरूप रखते हुए अभिवृद्धि करते हुए आदेश भूतलक्षी प्रभाव से जारी करे तथा इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत करवा दिया जाए।
7–8	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की अष्टम बैठक दिनांक 21.10.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं कार्यसूची की बिन्दु संख्या 8–6 (Ordinance for opening of New Units having Course under Self Financing Scheme and Course under Self Financing Scheme in Existing Units) ऑर्डिनेंस को, वित्तीय निहितार्थ होने के कारण वित्त समिति से विचार एवं अनुमोदन उपरान्त प्रबंध बोर्ड के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाना निर्देशित किया गया।
7–9	प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णयानुरुप एवं विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 44 (क), (ख) एवं (ग) के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा प्रबंध बोर्ड द्वारा एतदर्थ गठित समिति द्वारा संशोधित परिनियम (Statutes of Haridev Joshi University of Journalism ans Mass Communication, Jaipur) के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन। **<u>व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :</u>** विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 में निम्नलिखित तीन ऑर्डिनेंस का प्रारूप अनुमोदन पश्चात विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए थे: 1. Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Techers and other Academic Staff in University (Based on UGC regulation dated 18th July, 2018) 2. Ordinance for Recruitment and Service Rules for officers in University 3. Ordinance for Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules 1999 and Modification introduced time to time.) प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णय / संकल्प संख्या 6–12 में निर्देशित किया गया कि उक्त तीन ऑर्डिनेंस की विषय वस्तु विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार Statutes की परिधि में होने के कारण, इन्हें परिनियम (Statutes) प्रारुपों के रुप में स्वीकार किया जाए तथा इस आशय की सूचना विद्यापरिषद की आगामी बैठक में दी जाए। विद्यापरिषद की अष्टम बैठक दिनांक 21.10.2024 में उक्तानुसार सूचित करवा दिया गया था।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	प्रबंध बोर्ड के निर्णय की अनुपालना में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियम तैयार किए गए एवं इन्हें प्रबंध बोर्ड द्वारा इस निमित्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षण उपरांत उक्त परिनियम प्रारुप (Statutes of Haridev Joshi University of Journalism ans Mass Communication, Jaipur) सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	निर्णय/संकल्प प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णयानुरुप एवं विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 44 (क), (ख) एवं (ग) के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा प्रबंध बोर्ड द्वारा एतदर्थ गठित समिति द्वारा संशोधित परिनियम (Statutes of Haridev Joshi University of Journalism ans Mass Communication, Jaipur) के प्रारुप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा उक्त में लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करवाकर राज्यपाल सचिवालय को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन हेतु भिजवाए जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।
7–10	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा समिति द्वारा संशोधित विनियम (Regulation for Procedure to be adopted in the Board of Management Meetings) के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की तृतीय बैठक दिनांक 18.02.2022 में निम्नलिखित विनियम प्रारुप (Regulation for Procedure to be adopted in the Board of Management Meetings) अनुमोदन पश्चात विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 में अनुमोदित किया गया था। परन्तु, उक्त विनियम में कुछ संशोधन माननीय कुलपति द्वारा निर्देशित किए गए, जिसकी अनुपालना में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा संशोधन किए गए तथा इसे प्रबंध बोर्ड द्वारा इस निमित्त गठित समिति द्वारा परीक्षण कर अन्तिम प्रारुप तैयार किया गया, जो सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
	निर्णय/संकल्प हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा समिति द्वारा संशोधित विनियम (Regulation for Procedure to be adopted in the Board of Management Meetings) के प्रारुप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा उक्त में लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करवाकर, जारी किए जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7–11	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा एतदर्थ समिति द्वारा परीक्षित विनियम (Regulation regarding Procedure to be adopted in the Academic Council Meetings) के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा एतदर्थ समिति द्वारा परीक्षित विनियम (Regulation regarding Procedure to be adopted in the Academic Council Meetings) के प्रारुप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा उक्त में लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करवाकर जारी किए जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।
7–12	प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णयानुरुप एवं विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 47 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा समिति द्वारा संशोधित निम्नानुसार दो ऑर्डिनेंस के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन : 1. Ordinance for Direct Recruitment of Officers in University 2. Ordinance Relating to Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff in University **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद की सप्तम बैठक दिनांक 23.08.2023 में अनुमोदन पश्चात विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 में निम्नलिखित तीन ऑर्डिनेंस प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए गए थे: 1. Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Techers and other Academic Staff in University (Based on UGC regulation dated 18th July, 2018) 2. Ordinance for Recruitment and Service Rules for officers in University 3. Ordinance for Recruitment and ServiceConditions for Ministerial Staff of University (Based on The Rajasthan Subordinate Officers Ministerial Service Rules 1999 and Modification introduced time to time.) प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णय / संकल्प संख्या 6–12 में निर्देशित किया गया कि उक्त तीन ऑर्डिनेंसों की विषय वस्तु विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 44 के अनुसार Statutes की परिधि में होने के कारण, इन्हें परिनियम (Statutes) प्रारुपों के रुप में स्वीकार किया जाए तथा इस आशय की सूचना विद्यापरिषद की आगामी बैठक में दी जाए। विद्यापरिषद की अष्टम बैठक दिनांक 21.10.2024 में उक्तानुसार सूचित करवा दिया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	क्रमांक 1 पर अंकित ऑर्डिनेंस Ordinance relating to Recruitment and Service Rules for Teachers and other Academic Staff in University (based on UGC Regulation dated 18th July, 2018) को कुलपति महोदया के निर्देशानुसार परामर्शदाता महोदय द्वारा विभाजित करते हुए दो पृथक–पृथक ऑर्डिनेंस (1. Draft of Ordinance for Direct Recruitment of Teachers and Other Academic Staff in the University, 2. Draft of Ordinance for the Promotion under CAS) के रुप में विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदन उपरान्त पृथक ऐजेंडा में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्रमांक 2 एवं 3 पर अंकित ऑर्डिनेंस प्रारुपों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं को परिनियम में सम्मिलित कर लिया गया है। इनसे संबधित दो संशोधित अन्तिम ऑर्डिनेंस प्रारुप क्रमशः 1. Ordinance for Direct Recruitment of Officers in University, 2. Ordinance Relating to Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff in University सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णयानुरुप एवं विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 47 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा समिति द्वारा संशोधित दो ऑर्डिनेंस (1. Ordinance for Direct Recruitment of Officers in University, 2. Ordinance Relating to Recruitment and Service Conditions for Ministerial Staff in University) प्रारूपों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा उक्त में लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करवाकर, राज्यपाल सचिवालय को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन हेतु भिजवाए जाने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।
7–13	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की न्यूनतम अर्हता संबंधित अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2023 को अंगीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 30 जून, 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सहायक आचार्य पद के लिए न्यूनतम अर्हता में संशोधन किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उक्त अधिसूचना को अदिनांक राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही विभिन्न शैक्षणिक पद विज्ञापित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे में शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानानुरुप व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा। उक्त के दृष्टिगत अधिसूचना को अंगीकृत किए जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	<u>निर्णय / संकल्प</u> प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की न्यूनतम अर्हता से संबंधित, दिनांक 30 जून, 2023 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के संशोधन में जारी) की अधिसूचना को अंगीकृत किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि पूर्व में प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2018 की अधिसूचना (राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ.1(6)शिक्षा–4 / 2010 दिनांक 19.08.2020 के निर्देशों सहित) को अंगीकृत किया गया था। अतः इससे संबंधित समय–समय पर जारी संशोधित अधिसूचनाओं को प्रबंध बोर्ड के स्तर पर ही अंगीकृत किया जाना पर्याप्त माना जाए।
7–14	सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय की विषम सैमेस्टर परीक्षा दिसंबर, 2023 (जनवरी, 2024 में आयोजित) में अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित प्रकरण के संबंध में जारी स्थायी समिति के गठन का आदेश, दंडादेश की पुष्टि तथा इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत याचना पर विचार कर निर्णय हेतु क्रियाविधि (मैकेनिज्म) का प्रस्ताव। **<u>व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :</u>** सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय की विषम सैमेस्टर परीक्षा दिसंबर, 2023 (जनवरी, 2024 में आयोजित) में अनुचित साधनों के प्रयोग के संबंध में केन्द्राधीक्षक, शैक्षणिक केन्द्र, खासा कोठी, परिसर द्वारा एक प्रकरण प्रेषित किया गया था, जिसमें एमए–ईएम की दिनांक 09.02.2024 मध्याह्न पश्चात की पारी की परीक्षा में राहुल शर्मा (रोल नं. 233002022) को नकल करते हुए पकड़ा गया था। इस पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 6185 दिनांक 08.01.2024 (संलग्नक–1) एवं संशोधित आदेश क्रमांक 75 दिनांक 04.04.2024 (संलग्नक–2) द्वारा गठित स्थायी समिति ने विचार कर अपना अंतिम प्रतिवेदन / अभिशंसा दिनांक 30.03.2024 को प्रस्तुत की। जिस पर कुलपति महोदया के निर्णयानुरूप दंडादेश क्रमांक 970 दिनांक 04.06.2024 (संलग्नक–3) जारी किया गया, जिसमें अभ्यर्थी की एमए–ईएम प्रथम सैमेस्टर की समूची परीक्षा (सतत् मूल्यांकन के अलावा), निरस्त कर दी गई है, हालांकि वह द्वितीय सैमेस्टर परीक्षा, 2023–24 में शामिल हो सकता है। इस पर अभ्यर्थी राहुल शर्मा ने दिनांक 21.06.2024 (संलग्नक–4) को अपने प्रकरण पर कुलपति महोदया के सम्मुख उक्त समूची परीक्षा निरस्त करने के दंडादेश को क्षमा करने की याचना की है और निवेदन किया है कि जिस विषय की परीक्षा में वह दोषसिद्ध हुआ है, उसकी पुनः परीक्षा आयोजित करवाई जाए। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरित राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के 0.153 (तद्नुरूप प्ररूप 67E) (संलग्नक–5) अनुचित साधनों के प्रयोग व Disorderly Conduct के प्रकरणों में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के सम्मुख अपील / याचना का उल्लेख नहीं है। मगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप अभ्यर्थी को ऐसा अधिकार दिया जाना न्यायोचित एवं समीचीन है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	अतः प्रस्तुत प्रकरण तथा भविष्य में Unfair Means एवं Disorderly Conduct आदि से संबंधित अन्य मामलों मे अभ्यर्थी की अपील/याचना पर विचारार्थ एक तदर्थ समिति गठित किए जाने के लिए प्रबंध बोर्ड द्वारा कुलपति महोदया को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित तदर्थ समिति में अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित समिति के संयोजक के अलावा दो अन्य सदस्य कुलपति द्वारा सम्मिलित किए जा सकते है तथा परीक्षा नियंत्रक को समिति का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। यह तदर्थ समिति अपनी अभिशंसा कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिस पर लिये गए निर्णय से प्रबंध बोर्ड को अवगत करवाया जाएगा।
	निर्णय/संकल्प सदन द्वारा गहन विचार–विमर्श के उपरान्त अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित प्रकरण के संबंध में स्थायी समिति के गठन एवं विचाराधीन प्रकरण में दिए गए दंडादेश की पुष्टि की गई। इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत याचना पर विचार कर अपील हेतु तदर्थ समिति की क्रियाविधि (मैकेनिज्म) पर यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित नियमों के आलोक में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस कम में अपील की क्रियाविधि के प्रस्ताव को सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।
7–15	विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावाधानानुरूप प्रबंध बोर्ड से अनुमोदित ऑर्डिनेंस के संबंध में धारा 47(4) के अनुसरण में निर्धारित समय सीमा में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन/आपत्ति/निर्देश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, इन्हें अधिसूचित करवाए जाने के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय में तैयार सभी ऑर्डिनेंस प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 47(4) के अनुसरण में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को भिजवाए जाते है। अधिनियम में प्रावधित है कि "....... कुलाधिपति को ऑर्डिनेंस की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर–भीतर उसके प्रर्वतन को निलम्बित करने का बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति होगी और वह यथा संभव शीघ्र उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् या तो ऑर्डिनेंस को निलम्बित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या ऑर्डिनेंस को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।" विश्वविद्यालय द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुरूप प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त सभी ऑर्डिनेंस माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के समक्ष निर्धारित समय सीमा में

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, किन्तु राज्यपाल सचिवालय से कई बार निर्धारित समय सीमा (04 सप्ताह) के पश्चात् उनके द्वारा प्रस्तुत ऑर्डिनेंस के संबंध में प्रवर्तन को निलम्बित करने, आक्षेप संबंधी सूचना अथवा अननुज्ञात के संबंध में कोई निर्देश/आदेश प्राप्त नहीं हो पाते है तथा विश्वविद्यालय हित में कई बार महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस को समय पर लागू किया जाना आवश्यक हो जाता है तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में ऐसे ऑर्डिनेंस को उक्त प्रावधानुसार निर्धारित समय सीमा के पश्चात् अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है।
	निर्णय/संकल्प सदन द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को ऑर्डिनेंस को अनुमोदन के लिए भिजवाया जाए। निर्धारित समय सीमा समाप्ति के पश्चात, ऐसे ऑर्डिनेंस को अधिसूचित करवा दिया जाए तथा इस आशय की सूचना राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित कर दी जाए।
7–16	विश्वविद्यालय के दहमीं कलां स्थित नवीन (निर्माणाधीन) भवन में प्रथम फेज के शेष रहे कार्यों एवं द्वितीय फेज में प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु आरएसआरडीसी द्वारा प्रेषित पत्र के अनुरूप उक्त राशि 292.10 करोड रूपये (प्रथम चरण में शेष रहे कार्य हेतु राशि रू. 105.03 करोड एवं द्वितीय चरण के कार्यो हेतु राशि रु. 187.07 करोड रूपये) की राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** वर्तमान में विश्वविद्यालय का नवीन भवन ग्राम दहमी कलां, अजमेर रोड, जयपुर में निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य नोडल एजेंसी, आरएसआरडीसी के द्वारा किया जा रहा है। आरएसआरडीसी से प्राप्त सूचना अनुसार प्रथम चरण में स्वीकृत राशि रू. 109.92 करोड के अन्तर्गत एडमिन ब्लॉक (B+G+3), एकेडमिक ब्लॉक नं. 1 (G+1), एकेडमिक ब्लॉक नं. 2 (G+1), डिपार्टमेन्ट ब्लॉक नं. 5, मीडिया ब्लॉक 1 नं. (G+1) आदि का प्रावधान लिया गया था। विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं एवं दिये गये निर्देशानुसार एकेडमिक ब्लॉक 1 व 2 में 1–1 अतिरिक्त बेसमेन्ट बनाने का कार्य तथा 5 डिपार्टमेन्ट ब्लॉकों में से 4 डिपार्टमेन्ट ब्लॉक तथा 1 स्टूडेन्ट एक्टिविटी सेन्टर ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके कारण क्षेत्रफल बढने तथा 2 अतिरिक्त बेसमेन्ट का निर्माण करने की वजह से मीडिया ब्लॉक (G+1) का निर्माण नहीं हो सका था तथा स्टूडेन्ट एक्टीवीटी सेन्टर का निर्माण प्लिन्थ लेवल तक ही हो पाया है। अतः प्रथम फेज के शेष रहे कार्यो (गर्ल्स हॉस्टल, बायज हॉस्टल, मीडिया ब्लॉक, स्टूडेन्ट एक्टीवीटी सेन्टर आदि) को पूर्ण करने के लिए राशि रू. 95.48 करोड की स्वीकृति की जानी थी। चूंकि प्रथम चरण के कार्यों की डीपीआर PWD BSR 2019 की दर को आधार मानकर बनाई गई थी। परन्तु वर्तमान में PWD BSR 2022 की दर के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत अधिक महंगाई होने की वजह से प्रथम चरण के बकाया कार्यों की आवश्यक राशि रू 105.03 करोड की

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने हेतु आरएसआरडीसी द्वारा अनुरोध किया गया। इसी प्रकार द्वितीय चरण में लिये गये कार्यो की राशि 170.07 करोड PWD BSR 2019 की दर को आधार मानकर बनाई गई थी। परन्तु वर्तमान में PWD BSR 2022 की दर के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत अधिक मंहगाई होने की वजह से द्वितीय चरण के बकाया कार्यों की राशि रू. 187.07 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया है। इस प्रकार विश्वविद्यालय के प्रथम चरण के शेष रहे कार्यों एवं द्वितीय चरण के कार्यों हेतु कुल राशि रू. 292.10 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाना है ताकि शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाया जाकर विश्वविद्यालय को नवीन में स्थानान्तरण किये जाने की कार्रवाई की जा सकें। इस हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	<u>निर्णय / संकल्प</u> सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
7–17	प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 के निर्णय / संकल्प संख्या 6–13 के अनुरुप डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई कानूनी सलाह पर विचार एवं आगामी कार्रवाई के संबंध में निर्णयार्थ। **<u>व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :</u>** प्रबंध बोर्ड की षष्ठम बैठक दिनांक 04.09.2023 में मूल एजेंडा बिंदु 6–9 तथा पूरक एजेंडा 6–13 तथा डॉ. लोढा द्वारा कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड तथा कुलसचिव एवं सदस्य सचिव प्रबंध बोर्ड के समक्ष क्रमशः दिनांक 26.08.2023 एवं 28.08.2023 को "न्याय की प्रार्थना" संबंधी पत्रों पर विचार कर, विश्वविद्यालय की इस प्रकरण में अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी सलाह प्राप्त किए जाने तथा इसे प्रबंध बोर्ड के समक्ष दिनांक 30.09.2023 से पूर्वतर प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्देशों की पालना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा के माध्यम से विधि विभाग राजस्थान सरकार को प्रकरण में कानूनी सलाह हेतु निवेदन किया गया। किन्तु विधि विभाग द्वारा प्रकरण के तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की राय की आवशकता नहीं होने के कारण कानूनी सलाह प्रदान नहीं की गई। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय में कार्यरत विधि सहायक द्वारा दिनांक 04.06.2024 को प्रकरण में कानूनी सलाह प्रस्तुत की गई। किन्तु इस दौरान विधान सभा निर्वाचन, 2023 एवं लोक सभा निर्वाचन, 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं विश्वविद्यालय में नियमित कुलसचिव का पदस्थापन नहीं होने के कारण प्रबंध बोर्ड की नियमित बैठक का आयोजन नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय में नियमित कुलसचिव का पदस्थापन हाल ही में किया गया है। अतः प्रबंध बोर्ड की यह नियमित बैठक आयोजित की जा रही है जिसमें प्रबंध बोर्ड की पूर्व आयोजित बैठक दिनांक 04.09.2023 में इस प्रकरण के

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

संबंध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को सदन के समक्ष विचारार्थ एवं आगामी कार्रवाई के संबंध में आदेशार्थ/निर्णयार्थ सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस के साथ ही प्रबंध बोर्ड द्वारा दिनांक 04.09.2023 को प्रदत्त निर्देशों की पालना में बैठक में डॉ. मनोज कुमार लोढा को भी सलाहकार सहित उपस्थित होने हेतु सूचित कर दिया गया है।

निर्णय/संकल्प

डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रकरण में प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 04.09.2023 की कार्यसूची संख्या 6–9 तथा पूरक कार्यसूची संख्या 6–13 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था।

"इस प्रकरण में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी सलाह प्राप्त की जाए तथा तदनुसार इसे दिनांक 30.09.2023 से पूर्वतर बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इस बैठक में डॉ. मनोज कुमार लोढा को भी सलाहकार सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाए। तत्पश्चात प्रबंध बोर्ड इस प्रकरण पर अपना निर्णय लेगा।"

उक्तानुसार प्रकरण में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रकिया पर विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी सलाह प्राप्त कर तदनुसार इसे दिनांक 30.09.2023 से पूर्व प्रबंध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाना था, किन्तु कानूनी सलाह समय पर प्राप्त नहीं होने, विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन, 2024 की आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने एवं विश्वविद्यालय में नियमित कुलसचिव के पदस्थापन नहीं होने के कारण प्रबंध बोर्ड की नियमित बैठक दिनांक 30.09.2023 से पूर्व आयोजित नहीं की जा सकी।

अब चूंकि प्रकरण के संबंध में कानूनी राय प्राप्त की जा चुकी है तथा इसे प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 04.09.2023 में दिए गए निर्देशों की पालना में प्रबंध बोर्ड की दिनांक 02.12.2024 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत किया, जो परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इसके साथ ही प्रबंध बोर्ड के निर्देशों की अनुपालना में डॉ. मनोज कुमार लोढा को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

प्रकरण के संबंध में प्राप्त की गई विधिक राय दिनांक 04.06.2024 में मुख्यतः निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

1. विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 के प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय के स्वयं के परिनियम, ऑर्डिनेंस, विनियम बनाए जाने तक विश्वविद्यालय के नियमित कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियम, ऑर्डिनेंस एवं विनियम प्रक्रियाओं को यथावत स्वीकार किया गया है एवं जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियम, ऑर्डिनेंस, विनियम उपलब्ध / स्पष्ट नहीं हो, वहां राजस्थान सरकार

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

के परिनियम, ऑर्डिनेंस, विनियम अंगीकृत किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियम, ऑर्डिनेंस तथा विनियम यथावत स्वीकार किए जाने पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के कार्मिकों की सेवा शर्तों के संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 के हैण्डबुक (Vol-III) Chapter XLVII-Conditions of service, leave etc of the Employees of the University के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी अपेक्षित है का उल्लेख किया गया है। आगे उन्होंने अध्यादेश 0.357C के बिन्दु संख्या 2 का उल्लेख किया है जिसमें विहित है कि "The Vice Chancellor or any other authority empowered by him in this behalf may impose any of the penalties specified above on any employee, after conducting such enquiry as may be necessary in individual case," उक्त बिंदु में निर्दिष्ट दंड अधिरोपित करने से पूर्व प्रकरणवार आवश्यक जांच कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। परंतु आवश्यक जांच में क्या-क्या कार्रवाई शामिल होगी इसका विवरण अंकित नहीं है। नैसर्गिक न्याय के अनुसार आवश्यक जांच में कार्मिक को आरोपों की उचित सूचना, सुनवाई/लिखित कथन प्रस्तुत करने का सम्यक अवसर प्रदान करना एवं जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष/विस्तृत जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट Disciplinary authority के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर Disciplinary authority द्वारा जांच अधिकारी की Finding/जांच रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए कार्मिक को सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए exoneration or Penality order दिया जाना शामिल है, का उल्लेख किया है।

2. उपरोक्त वर्णित अध्यादेश O.357C के बिंदु संख्या 5, 6, 7 में विहित है कि **"In Case where the Syndicate is the appointing authority the V.C Shall exercise the Power of punishment, Appeals in Such Cases Shall lie with the Syndicate."**
3. **"Where the V.C is the Punishing authority the appeal Shall lie to the Syndicate"**
4. **No appeal Shall lie against the order of the Syndicate.**
5. इस प्रकार उपरोक्त अध्यादेश 357 सी के बिंदु संख्या 5, 6, 7 के क्रम में **विचाराधीन प्रकरण में दण्डादेश की शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम प्राधिकारी (Punishing authority) एवं उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील का अधिकार रखने वाले सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, एवं दण्डादेश दिए जाने की स्थिति में कार्मिक को दण्डादेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं अपील प्रस्तुत किए जाने की समयावधि के विषय में भी सूचित किया जाना अपेक्षित है** का उल्लेख किया गया है।
6. बिन्दु संख्या 6 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 24(f) एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हैण्डबुक (Vol-III) के ऑर्डिनेंस 357(C) के संदर्भ में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी की

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा तथा ऐसे मामलों में प्रबंध बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की जायेगी। जांच रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी जिसका कुलपति द्वारा परीक्षण कर अनुशासनिक अधिकारी के रूप में समुचित आदेश पारित किया जायेगा। प्रबंध बोर्ड कुलपति द्वारा पारित आदेश की वैधता की समीक्षा करेगा। इस प्रकार विधिक राय में किसी जांच कार्रवाई हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपील प्राधिकारी दोनों की पृथक अधिकारिता का उल्लेख किया गया है।

उक्त विधिक राय के साथ ही प्रकरण के पक्षकार डॉ. मनोज कुमार लोढा, सह आचार्य द्वारा प्रकरण के संबंध में दिनांक 30.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन के समक्ष रखा गया। प्रार्थना पत्र में विचाराधीन प्रकरण में जांच से संबंधित मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :

i. प्रकरण में एफएफसी की रिपोर्ट तथा उप समिति की रिपोर्ट को प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करके तथा इनकी रिपोर्टो को प्रबंध बोर्ड द्वारा स्वीकार करके न केवल सामान्य प्रकियात्मक त्रुटि बल्कि विश्वविद्यालय में प्रचलित/लागू अध्यादेश की वैधानिक अवहेलना की गई है।
ii. अपील प्राधिकारी (प्रबंध बोर्ड) के समक्ष सजा का बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत करना इस विश्वविद्यालय में प्रचलित विधायी प्रकिया की स्पष्ट अवहेलना है और असंवैधानिक है।
iii. इस विश्वविद्यालय में प्रचलित अध्यादेश O.357C की स्पष्ट अवहेलना कर उनके अपील करने के अधिकार को ही छीन लिया है जो पूर्णत असंवैधानिक है।
iv. शिकायत के संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, प्राकृतिक न्याय के सिंद्धात आदि की कोई प्रकिया काम में नही ली गई है।
v. प्रार्थी का चयन The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection For Appointment) Act, 1974 के अन्तर्गत गठित सक्षम चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया गया है। चयन समिति द्वारा योग्यता का परीक्षण एवं जांच परख करके ही नियुक्ति दी गई है।

अन्त में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश O.357 एवं CCA Rules, 1958 में प्रावधित विभागीय प्रकिया नहीं अपनाने के कारण अभी तक की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त कर न्याय प्रदान करने का निवेदन किया।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रकरण के उपस्थित पक्षकार डॉ. मनोज कुमार लोढा, सह आचार्य द्वारा अपना पक्ष सदन के समक्ष रखा गया। अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए डॉ. लोढा द्वारा अधिकांशतः उनके द्वारा पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2024 में अंकित किए गए बिन्दुओं को दोहराया गया। इस दौरान उन्होंने सदन को यह भी बताया कि उनके विरूद्ध की जा रही जांच निर्धारित प्रकिया के अनुसार नही किए जाने, अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिए जाने, एकतरफा जांच समिति का गठन कर इसमें प्रार्थी के विरूद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित सदस्यों को शामिल

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	किए जाने आदि के संबंध में पूर्व में भी आक्षेप करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाने हेतु निवेदन किया गया था, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे उन्होंने बताया कि उनका चयन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण जांच पडताल एवं परीक्षण करके निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। प्रार्थी निष्पक्ष जांच चाहता है। अतः उन्होंने प्रकरण में नए सिरे से निष्पक्ष जांच, निर्धारित जांच प्रक्रिया अपनाते हुए करवाने हेतु सदन से निवेदन किया। विचाराधीन प्रकरण के संबंध में बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री रजत शर्मा द्वारा कुलपति महोदया को सम्बोधित वॉट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसमें इस प्रकरण में डॉ. लोढा के विरूद्ध कार्रवाई करने में देरी/संकोच नहीं करने का आग्रह किया गया है। सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदया की अनुमति से इसे सदन के समक्ष रखा गया। जिसका सदन द्वारा संज्ञान लिया गया। तदुपरान्त सदन द्वारा प्रकरण में प्राप्त कानूनी सलाह का अवलोकन किया गया। कानूनी राय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के पक्षकार डॉ. लोढा द्वारा उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण किया गया। प्रकरण में जांच हेतु अब तक अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रियां एवं संबंधित रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। विधिक राय के संदर्भ में सदन का अभिमत है कि प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई कुलपति स्तर पर की जानी चाहिए थी, ताकि प्रार्थी को प्राप्त अपील का महत्वपूर्ण अधिकार बना रहे। अभी तक अपनाई गई प्रक्रिया से प्रार्थी का अपील का अधिकार समाप्त हो गया है, जो विधिसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड से यह भी जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा जांच कार्रवाई के दौरान पहले भी जांच समिति के गठन एवं उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय नहीं दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अवगत करवा दिया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि संबंधित पक्षकार अब तक की जा रही जांच तथा इस हेतु अपनाई जा रही जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। जांच की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाना गम्भीर विषय है। सदन का मानना है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है अपितु न्याय किया जाना प्रतीत भी होना चाहिए। अतः प्रकरण की संपूर्ण वस्तुस्थिति के दृष्टिगत सदन की सर्वसम्मत राय में विचाराधीन प्रकरण में नये सिरे से जांच किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। प्राप्त विधिक राय के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार विचाराधीन प्रकरण में सदन सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के कुलपति को अनुशासनिक अधिकारी/दण्डादेश प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है तथा विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड को अपील प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है। अपील अनुशासनिक अधिकारी के आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	उक्तानुसार प्रकरण में जांच कर यथावश्यक दण्डादेश/आरोपमुक्ति की कार्रवाई कुलपति द्वारा की जाएगी तथा आदेश से व्यथित होने की स्थिति में कार्मिक द्वारा इसकी अपील निर्धारित अवधि में प्रबंध बोर्ड के समक्ष की जा सकेगी। इस प्रकार प्रकरण में सदन द्वारा गहन विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया : विचाराधीन प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 29.01.2020 के निर्णय/संकल्प संख्या 1–2 (ii) के अनुसरण में नए सिरे से विहित जांच प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण का यथाशीघ्र निस्तारण किया जावे तथा जांच प्रक्रिया में प्रार्थी को सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान किया जावे। प्रकरण में जांच संबंधी सम्पूर्ण कार्रवाई हेतु कुलपति को एवं अपील (आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर) हेतु प्रबंध बोर्ड को अधिकृत किया जाता है। अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
7–18	**प्रतिवेदनीय एजेंडा**
7–18–1	विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 43 के अनुसार विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 तैयार कर प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन उपरांत राज्य विधानमण्डल में रखे जाने का प्रावधान है। उक्त वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा तत्काल चाहे जाने पर प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदया को प्राप्त विशेष शक्तियों के आधार पर पत्रांक प.2(47)एचजेयू/संस्था/प्रशा/प्रतिवेदन/2024/6165 दिनांक 05.01.2024 द्वारा प्रेषित किया गया है।
	निर्णय/संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 की पुष्टि की गई।
7–18–2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 23(III)(i) के प्रावधानों के अनुसरण में 02 कार्यकारी संकायाध्यक्षों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) को प्रबंध बोर्ड में नामनिर्देशित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 733 दिनांक 17.05.2024 की पुष्टि।
	निर्णय/संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 733 दिनांक 17.05.2024 की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7—18—3	विश्वविद्यालय के Ordinance of Ph.D. (Doctor of Philosophy) को पत्रांक 6777 दिनांक 01.03.2024 द्वारा अधिसूचित कर तथा इस बाबत सूचना माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये जाने की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से Ordinance of Ph.D. (Doctor of Philosophy) को अधिसूचित किए जाने संबंधी कार्रवाई की पुष्टि की गई।
7—18—4	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा—11 (19) के अन्तर्गत कुलपति महोदया को प्रदत्त अधिकारों के आधार पर धारा 29(च) के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड के अशासकीय सदस्यों में से प्रो. अनिल कुमार राय को 2 वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की वित्त समिति में सदस्य मनोनीत किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 2494 दिनांक 02.08.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 2494 दिनांक 02.08.2024 की पुष्टि की गई।
7—18—5	प्रबंध बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 28.04.2022 के निर्णय / संकल्प क्रमांक 4—8 के अनुसरण में परिनियम / विनियम / ऑर्डिनेंस के पुनरीक्षण / परीक्षण / पुनरावलोकन के लिए समिति का पुनर्गठन आदेश क्रमांक 1834 दिनांक 28.06.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 1834 दिनांक 28.06.2024 की पुष्टि की गई।
7—18—6	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा डॉ. मनोज कुमार लोढा, सह आचार्य को स्वीकृत IMPRESS परियोजना को नस्तीबद्ध किए जाने के प्रकरण पर समिति गठन आदेश क्रमांक 2919 दिनांक 31.08.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा प्रकरण के संबंध में समिति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन करते हुए निर्णय किया गया कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) द्वारा डॉ. मनोज कुमार लोढा, सह आचार्य को स्वीकृत IMPRESS परियोजना को नस्तीबद्ध माना जाए तथा परियोजना में शेष रही राशि को फंड़िंग एजेंसी को लौटा दिया जाए।
7—18—7	विश्वविद्यालय में विद्यासंबल योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024—25 (विषम सैमेस्टर) के लिए अतिथि शिक्षकों को विभागवार सूचीबद्ध किए जाने के आदेश क्रमांक 3979 दिनांक 08.11.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 3979 दिनांक 08.11.2024 की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7—18—8	कुलपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालय के दहमी कलां स्थित नवीन परिसर में शिफ्टिंग किए जाने के दृष्टिगत पुलिस पैट्रोलिंग, कैम्पस के मुख्य द्वार पर बस स्टैण्ड बनाए जाने तथा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के लिए माननीय उप—मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को प्रेषित पत्र कमांक 2794 दिनांक 22.08.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से माननीय उप—मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को प्रेषित पत्र कमांक 2794 दिनांक 22.08.2024 की पुष्टि की गई। सदन द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त कार्रवाई के साथ—साथ टांसपोंट कमिशनर को भी विश्वविद्यालय के लिए बस स्टॉप बनाये जाने एवं एतदर्थ टिकट काटे जाने की व्यवस्था करवाने हेतु पत्र दिया जाए।
7—18—9	विश्वविद्यालय को दहमी कलां स्थित नवीन परिसर में शिफ्टिंग किए जाने के दृष्टिगत कुछ संवर्गों में अशैक्षणिक पद सृजित किए जाने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित पत्र कमांक 3369 दिनांक 24.09.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से कुछ संवर्गों में अशैक्षणिक पद सृजित किए जाने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित पत्र कमांक 3369 दिनांक 24.09.2024 की पुष्टि की गई।
7—18—10	विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को युक्तियुक्त प्रस्ताव भिजवाए जाने हेतु प्रेषित पत्र कमांक 3995 दिनांक 11.11.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को युक्तियुक्त प्रस्ताव भिजवाए जाने हेतु प्रेषित पत्र कमांक 3995 दिनांक 11.11.2024 की पुष्टि की गई।
7—18—11	विश्वविद्यालय को नवीन परिसर में शिफ्टिंग के संबंध में शैक्षणिक परिसर के लिए होटल खासा कोठी में अनुबन्ध पर लिए गए कमरों की अनुबन्ध अवधि बढाए जाने के लिए किए गए पत्राचार की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होटल खासा कोठी, जयपुर के भूतल एवं प्रथमतल पर कुल 25 कमरे राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. द्वारा अनुबंध पर उपलब्ध करवाए गए थे, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 04.08.2024 को समाप्त होने के कारण विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तथा परीक्षाओं के दृष्टिगत 06 माह और बढ़ाने की सूचना राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. को दी गई थी किन्तु उनके द्वारा पत्रांक 397 दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से अधिकतम तीन महीने की अभिवृद्धि की शर्त लगाई गई। विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक 2790 दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से 06 माह और

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	रहने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। निगम द्वारा पत्रांक 742 दिनांक 07.11.2024 के माध्यम से दिनांक 31.01.2025 तक अनुबन्ध अवधि में वृद्धि कर दी गई है। विश्वविद्यालय एवं निगम के मध्य पत्राचार सदन के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय के दहमीं कलां स्थित नवीन भवन में शिफ्टिंग का कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा शेष निर्माण कार्य एवं फर्नीचर इत्यादि आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाने तथा विद्यार्थियों के आवागमन एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्था किए जाने के उपरान्त ही किया जाना प्रस्तावित है। नोडल एजेंसी आरएसआरडीसी को शेष रहे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय को नवीन परिसर में शिफ्टिंग के संबंध में शैक्षणिक परिसर के लिए होटल खासा कोठी में अनुबन्ध पर लिए गए कमरों की अनुबन्ध अवधि बढाए जाने के लिए किए गए पत्राचार की पुष्टि की गई तथा निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं होने एवं फर्नीचर आदि का कार्य भी बकाया होने के कारण नवीन परिसर में शीघ्र शिफ्टिंग नहीं होने के कारण अनुबंध की समयावधि बढाने हेतु होटल खासा कोठी, जयपुर को पुनः आग्रह किए जाने का निर्णय लिया गया।
7–18–12	विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति तथा RTPP Act 2012 & Rule 2013 के नियम–17 Single Source Procuremment के अनुसार तथा Financial Delegation Power के बिन्दु संख्या–18 के प्रावधानुसार परामर्शदाता पद पर डॉ. दीपक भटनागर को एक वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, के लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3512 दिनांक 02.10.2024 की पुष्टि।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से आदेश क्रमांक 3512 दिनांक 02.10.2024 की पुष्टि की गई।
7–18–13	विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन के रिवाईज्ड ड्राईंग की पुष्टि। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय के दहमीं कलां स्थित नवीन (निर्माणाधीन) भवन की ड्राईंग को विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार रिवाईज्ड किया गया था। रिवाईज्ड ड्राईंग सदन के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन के रिवाईज्ड ड्राईंग की पुष्टि की गई।
7–19	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा)	
7–20	विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप संचालित स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर की पाठ्ययोजनाओं में वर्तमान फ्रेमवर्क में लगभग 30 विद्यार्थियों के तृतीय सैमेस्टर में क्रमोन्नत नहीं हो पाने के दृष्टिगत प्रथम एवं द्वितीय सैमेस्टर में DCC प्रश्न पत्रों की संख्या बढाते हुए विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध करवाये जाने हेतु विद्यापरिषद के माध्यम से अध्ययन बोर्डों को निर्देशित किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ। **व्याख्यात्मक नोट (Explanatory Note) :** विश्वविद्यालय में वर्ष 2023–24 से ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार एनईपी, 2020 के अनुरूप स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में पाठ्यक्रम तैयार कर लागू करवाये गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2023–24 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के उक्तानुसार प्रथम बैच के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में नवीन फ्रेमवर्क के कारण लगभग 30 विद्यार्थी तृतीय सैमेस्टर में क्रमोन्नत नहीं हो पाए हैं। उक्त समस्या के निवारण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की सभी पाठ्ययोजनाओं में प्रथम एवं द्वितीय सैमेस्टर में DCC प्रश्न पत्रों की संख्या बढाते हुए विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध करवाये जाने हेतु विद्यापरिषद के माध्यम से अध्ययन बोर्डों को निर्देशित किए जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है।
	निर्णय/संकल्प सदन द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इस संबंध में कुलपति द्वारा एक समिति का गठन किया जाए तथा समिति का प्रतिवेदन विद्यापरिषद की बैठक में आगामी कार्रवाई हेतु रखा जाए।
7–21	**प्रतिवेदनीय एजेंडा**
7–21–1	सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय की सम सैमेस्टर परीक्षा जून, 2024 (सितम्बर–अक्टूबर, 2024 में आयोजित) में अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित दो प्रकरणों के संबंध में जारी पत्रों को पुष्टि हेतु प्रतिवेदित है।
	निर्णय/संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय की सम सैमेस्टर परीक्षा जून, 2024 (सितम्बर–अक्टूबर, 2024 में आयोजित) में अनुचित साधनों के प्रयोग से संबंधित दो प्रकरणों के संबंध में जारी पत्रों पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

7—21—2	राज्य सरकार द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को कॅरियर एडवासमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति के फलस्वरूप एरियर भुगतान के संबंध में जारी आदेश क्रमांक प.1(6)शिक्षा—4 / 2010 पार्ट—।। 25.02.2022 एवं उक्त पत्र के स्पष्टीकरण बाबत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ14(1)FD / Rules / 2009 दिनांक 19.09.2022 का सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ14(1)FD / Rules / 2009 दिनांक 19.09.2022 का संज्ञान लेते हुए शिक्षकों को उक्तानुसार कॅरियर एडवासमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति के फलस्वरूप एरियर भुगतान किया जाना निर्देशित किया गया।

सुधि राजीव
(सुधि राजीव)
कुलपति
कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(बी.एल मेहरडा)
RAS
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)